

हत्या के प्रयास से संबंधित मामले में 03 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से तमन्चा व कारतूस, लाठी डण्डा बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.04.2025 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर काछीकला अण्डर पास के पास से हत्या के प्रयास मामले से संबंधित वांछित अभियुक्तगण रामप्रकाश यादव पुत्र रिखदेव यादव, तेजबहादुर यादव उर्फ तेजू यादव पुत्र हरिवंश यादव , सूर्यभान यादव पुत्र फौजदार यादव निवासीगण सोड़सर थाना कोपागंज जनपद मऊ के कब्जे से 01 अदद तमन्चा, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 02 अदद लाठी डण्डा व टूटे हुए भाले का फल बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.04.2025 को दो पक्षों में गेहू की कटाई को लेकर विवाद हुआ जिसमें फायरिंग की गयी तमन्चा व खोखा कारतूस को बरामद किया गया जिसमें कन्धे पर गोली लगने से हुए घायल का इलाज चल रहा है। जो संबंधित मु0अ0सं0 109/25 धारा 3(5), 109(1) 115(2), 125 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट के से संबंधित गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. रामप्रकाश यादव पुत्र रिखदेव यादव निवासी सोड़सर थाना कोपागंज जनपद मऊ
2. तेजबहादुर यादव उर्फ तेजू यादव पुत्र हरिवंश यादव निवासी सोड़सर थाना कोपागंज जनपद मऊ
3. सूर्यभान यादव पुत्र फौजदार यादव निवासी सोड़सर थाना कोपागंज जनपद मऊ।

बरामदगी-

1. एक अदद तमन्चा व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
2. 02 अदद लाठी व डण्डा व टूटे हुए भाले का फल।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 109/25 धारा 3(5), 109(1) 115(2), 125 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 274/21 धारा 147,148,323,427,504,506 भादवि व 3(1)द एससी/एसटी एक्ट (तेजबहादुर)।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री विजय प्रकाश मौर्य थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3. उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ।
4. उ0नि0 अनिकेत सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ।
5. हे0का0 लव कुमार चौधरी थाना कोपागंज जनपद मऊ।
6. हे0का0 दीपक सिंह थाना कोपागंज जनपद मऊ।

7. हे0का0 अभयराज यादव थाना कोपगंज जनपद मऊ ।
8. का0 विजय विश्वकर्मा थाना कोपगंज जनपद मऊ ।
9. का0 सतवन्त कुमार यादव थाना कोपगंज जनपद मऊ ।
- 10.का0 अभिषेक कुमार मिश्रा थाना कोपगंज जनपद मऊ ।
- 11.का0 संदीप कुमार थाना कोपगंज जनपद मऊ ।
- 12.चालक हे0का0 कृष्ण कुमार सिंह थाना कोपगंज जनपद मऊ ।

शांति भंग की आशंका में कुल 19 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 19.04.2025 को थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान श्याम सुन्दर राजभर पुत्र स्व0 रुपा राजभर, रामप्रवेश राजभर पुत्र सुरेन्द्र राजभर, मीरा राजभर पत्नी जग्गी राजभर, सरिता राजभर पुत्री बबबन राजभर, सरिता पत्नी रामप्रवेश राजभर, समस्त निवासीगण सनेगपुर थाना दक्षिणटोला, कृष्णा साहनी पुत्र बचनू साहनी, रोहित साहनी पुत्र बचनू साहनी, दिलीप साहनी पुत्र विनोद साहनी, महेश साहनी पुत्र दूधनाथ साहनी, धर्मशीला पत्नी महेश साहनी, राजेश साहनी पुत्र दूधनाथ साहनी, बन्दना साहनी पत्नी अभिलाश , कमली साहनी पत्नी बचनू साहनी ,कंचन साहनी पुत्री दीपक साहनी, सीता साहनी पत्नी हरिन्दर साहनी , रबडी साहनी पत्नी रमेश साहनी , सावित्री साहनी पत्नी राजेश साहनी , बचनू साहनी पुत्र हरिहर साहनी , बिद्धा देवी पत्नी स्व0 विनोद साहनी समस्त निवासीगण सनेगपुर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व ₹3,000 के अर्थदंड से हुया दंडित—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 18-04-2025 को मु0अ0सं0 354/2024 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर में दोषसिद्ध अभियुक्त मानसिंह पुत्र भुपेन्द्र सिंह निवासी कहिनौर थाना सरायलखन्सी जपनद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गयी अवधि की सजा एवं ₹3,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 7 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।